ईनिविदाआंमत्रण–ईनिविदा क्र. 3094 दिनांक 18.06.2024

लेबल–1

विभागकानाम	मध्यप्रदेशवनविभाग
वृत / वनमण्डलकानाम	औबेदुल्लागंज
निविदासूचनाक.	ई–निविदाक. ....
कार्यकानाम	निर्माणसामग्री
प्रदाय सामग्रीकावार्षिक मूल्यांकनराशिलगभग	लगभग 01 करोड़
निविदा की अवधि	निविदा खुलेदिनांक से 31 मार्च 2025 तक
निविदाकाप्रकार	खुली
निविदा श्रेणी	आपूर्ति
निविदासुरक्षानिधि	प्रत्येक निविदाकार को ऑनलाईन ई.एम.डी. की राशि रू. 200000/–(रू. दो लाख) जमा करना अनिवार्य हैं, तथा **सफल निविदाकार** को पृथक से राशि रू. 200000/–(रू. दो लाख) का भौतिक बैंक, एफ.डी.आर. जो कि सीमी राष्ट्रीयकृत बैंक का (एक वर्ष की अवधि) जो **वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज के नाम पर हो एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायसेन मुख्य शाखा** में देय कर अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगा, इसके पश्चात ऑनलाईन ई.एम.डी. की राशि ऑनलाईन वापस कर दी जावेगी।
कार्यका शुल्क	आवश्यक नही
Tender Publishing Date & Time	19-06-2024 Time 12.30 AM
Document Download/sale Start Date	24-06-2024 Time 10.00 AM
Seek Clarification Start Date & Time	24-06-2024 Time 10.30 AM
Seek Clarification End Date & Time	29-06-2024 Time 5.30 PM
Pre-Bid Meeting Date	02-07-2024 Time 2.00 PM
Bid Submission Start Date & Time	05-07-2024 Time 10-30 AM
Bid Submission Closing Date & Time	10-07-2024 Time 5.30 PM
Bid Opening Date & Time	12-07-2024 Time 4.30 PM
निविदादरप्रस्तुतकरनेका प्रकार	ऑनलाइन निविदा में ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रतियां दिनांक0 11-07-2024 समय 6.00 PM तक वनमण्डल कार्यालय औबेदुल्लागंज में जमा करना होगा।
निविदा की वैद्यता	31 मार्च 2025

Scanned with CamScanner

निविदा की प्रमुख शर्ते	1.निविदाकर्ता अपनी दरें ऑनलाइन ई–निविदा में प्रस्तुत करें। 2.उपरोक्त सामग्री की दर निविदा प्रपत्र में कार्य स्थल तक पहुँचाकर कर रहित दर्शायी जावें। 3. आयकर विभाग का **पेन नम्बर**, वाणिज्य कर विभाग से जारी **जी.एस.टी. नम्बर** पंजीयन एवं सामग्री प्रदाय सम्बन्धी **अनुभव प्रमाण–पत्र** (विगत तीन वर्षो के वर्क आर्डर) की छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विगत तीन वर्षो के माह मार्च के **जी.एस.टी. रिटर्न** की छाया प्रति संलग्न करें। पंजीयन निविदा सूचना प्रकाशन के पूर्व का होना चाहियें। 4. अधिकृत विक्रेता का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं। 5.अधोहस्ताक्षरकर्ता को निविदा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिये वह किसी के समक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। 6.सामग्री उच्च गुणवत्ता एवं मापदण्ड की प्रदाय की जाना अनिवार्य है। 7.प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित गुणवत्ता नही पाये जाने पर अस्वीकार की जावेगी, जिसका पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज को होगा। 8.सामग्री प्रदाय स्थल वनमण्डल के अन्तर्गत परिक्षेत्रों में निर्धारित कार्य स्थल (FOR)रहेगा। 9.निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय के प्रस्तुत बिल में नियमानुसार CGST, SGST का अलग–अलग उल्लेख करना अनिवार्य हैं। 10.सामग्री प्रदायकर्ता को वाणिज्यिक कर एवं शासन के द्वारा वर्तमान में प्रचलित कर प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। 11.सफल निविदाकार को वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनुबंध हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में निविदाकार की धरोहर राशि राजसात कर निविदाकार को तीन वर्ष तक वनमण्डल औ0गंज में निविदा डालने हेतु प्रतिबंधित किया जावेगा जिसका पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज को होगा। 12. सफल निविदाकार को इस वनमण्डल अंतर्गत संबधित परिक्षेत्र अधिकारियों द्वारा सामग्री का मांग पत्र (जिसमें उन्हे परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, व्हाट्शप पर प्रेषित भी शामिल हैं) प्रेषित किया जावेगा तथा मांग पत्र अनुसार सामग्री को उन्हे 03 दिन में निर्धारित स्थल तक FOR करना होगा। निर्धारित समयावधि में सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा स्वीकृत निविदा दर पर चाही गई सामग्री स्थानीय बाजार से उनके द्वारा क्रय की जावेगी, इसमें निविदाकार की कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा निविदाकार की अमानत राशि राजसात की जाकर निविदाकार को 3 वर्षो के लिये प्रतिबंधित कर दिया जावेगा। 13.सभी विवादित प्रकरणों में वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज का निर्णय अंतिम एवं सामग्री प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होगा। 14.सामग्री की मात्रा अनुमानित है, बजट आंवटन की स्थिति में ही सामग्री क्रय की जावेगी। 15.सामग्री प्रदाय के संबंध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी (जैसे खराब होने, टूटी–फूटी निकलने पर बदलने आदि) की जवाबदारी स्वीकृत निविदाकर की होगी, जिन्हे बदलकर न्यू सामग्री दिया जाना अनिवार्य होगा। 16. उपरोक्त सामग्री प्रदाय करने हेतु फर्म का वार्षिक टर्नओवर 50 लाख या अधिक का होना चाहिये। 17. सामग्री प्रदाय करने हेतु पंजीकृत फर्म का सहमति पत्र होना चाहिये। 18. रेत, गिट्टी मुरम रायल्टी (इलेक्ट्रोनिक परिवहन पास, ई–टीपी) सहित प्रदाय किया जाना है। 19. फेब्रीकेशन वर्क में वनविभाग मे कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य हैं। **20. सामग्री का प्रदाय का भुगतान ई इनवाईस बिल के माध्यम से ही किया जावेगा। मेन्यूअल बिल मान्य नही होगें।** 21. विशेष परिस्थिति में संबंधित स्वीकृत निविदाकार का कार्य संतोषप्रद होने पर निविदा की अवधि पूर्व में स्वीकृत दरों पर ही बढ़ाई जा सकती हैं।

Scanned with CamScanner

Place of Opening for Tenders	Office of Divisional Forest Officer, Obedullaganj
Officer Inviting bids	DFO, Obedullaganj
Address	Office of Divisional Forest Officer, Obedullaganj, Raisen, Madhya Pradesh - 464993
Contact Details	9424790710, 9424790711, 9179792686
Procedure for bid submission	निविदा निर्धारित प्रारूप https://mptender.gov.inके माध्यम से प्रस्तुत करना हैं।
Statutory Requirements	निविदा की प्रमुख शर्तो के अनुसार
Documents to be scanned and uploaded	निविदा की प्रमुख शर्तो के अनुसार समस्त अभिलेख।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज

Scanned with CamScanner